कार्यवृत्त

गुरूवार, 21 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 06 दिसम्बर, 2018)

खण्ड–52
अंक–3

विधान सभा की कार्यवाही सभा मण्डप, देहरादून में श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 11:00 बजे आरम्भ हुई।

मा0 अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने लोकायुक्त की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा दी गई नियम 310 की सूचना को प्राथमिकता के आधार पर लेने का आग्रह किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर उक्त सूचना को लिए जाने हेतु जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। परन्तु नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया।

श्री अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से सदन व्यवस्थित करने में सहयोग का अनुरोध किया और कहा कि सदन के व्यवस्थित रुप से चलने पर ही किसी विषय पर सही प्रकार से विचार हो सकेगा। उन्होने पुनः कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे जिस समय सभी मा0 सदस्यों के विचार आ जायेंगे। इस पर विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज पुनः प्रश्नकाल में कार्यसूची में प्रविष्ट सभी प्रश्न निर्धारित समय में उत्तरित हुए हैं। उसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सभी प्रश्नों के गंभीरता से उत्तर समयान्तर्गत देने की इस उच्च कोटि की संसदीय परम्परा का निर्वहन भविष्य में भी होता रहेगा।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने कहा कि उनके द्वारा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री ने स्वीकार किया था कि प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु धन दिया जा चुका है परन्तु उनके द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि अनेक स्कूलों में भारी संख्या में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं। मा0 मंत्री द्वारा इस प्रकार मिथ्या कथन से सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और एक प्रकार से यह विशेषाधिकार हनन का विषय बनता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विषय विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आता है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का विषय नहीं है वरन निदेश संख्या 162 से आच्छादित होता है जिसके अन्तर्गत मा0 सदस्य किसी मंत्री या मा0 सदस्य के किसी वक्तव्य में किसी त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मा0 मंत्री मा0 सदस्य की सूचना का संज्ञान लेते हुए निदेश 162 के अन्तर्गत वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं।

12 बजकर 17 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख लिखित सूचनाएं सदन के संज्ञान में लायी गयीः–

1. श्री खजान दास	ए0डी0बी0 द्वारा राजपुर रोड क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल एवं सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु खोदी गई सड़कों का पुर्ननिर्माण न किये जाने एवं गुणवत्ताविहीन कार्यों के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती ममता राकेश	विगत छः माह से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाली विकलांग एवं किसान पेंशन लाभार्थियो को प्राप्त न होने के सम्बन्ध में।
3. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत मड़ मानले अनुसूचित जाति क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में।
	(पढ़ा हुआ माना गया।)
4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देघाट व देवायल में उपकरणों की कमी के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
	(पढ़ा हुआ माना गया।)
5. श्री महेश नेगी	विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के चौखुटिया में तड़ाकताल झील के निर्माण हेतु धन आवंटन न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
	(पढ़ा हुआ माना गया।)
6. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का अतिरिक्त परिसर का निर्माण न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
	(पढ़ा हुआ माना गया।)
7. श्री केदार सिंह रावत	प्रदेश में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के डबर कोट में भूस्खलन से अवरूद्ध मार्ग के कारण श्रद्धालुओं एवं स्थानीय निवासियों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत नवीन मण्डी खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री दिवान राम पुत्र श्री हरीराम, ग्राम व पो0 पोखरी, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा भीमताल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल दत्त पुत्र श्री हरीकृष्ण, ग्राम–ओखलकाण्डा, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''भीमताल विधान सभा भीमताल नगर में भारी लोड होने के वजह से भीमताल बाईपास मार्ग बनाने के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रेश पाण्डे पुत्र श्री दीप चन्द्र पाण्डे, तल्लीताल, भीमताल, जिला नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री नरेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) चमोली को समय पर भेजे गये आवेदनों के निराकरण हेतु स्मृति पत्रों की अवहेलना के संबंध में दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0, मालसी, विकास खण्ड गैरसैंण की पदोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर रा0प्रा0वि0 पंज्याणामल्ला विकास खण्ड गैरसैंण में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), चमोली के आदेश संख्या/बेसिक– 4/146/4 (3) सेवायें (पदोन्नति)/2017–18 दिनांक 18 जुलाई, 2017 के द्वारा हुई। उक्त पदोन्नति में अध्यापकों को काउन्सलिंग के माध्यम से पदोन्नति पर पदस्थापित किया गया, श्री नेगी द्वारा भी पदोन्नति में स्वेच्छा से पदोन्नत विद्यालय का चयन किया गया;

2. श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2017 को पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि पदोन्नति पर पदस्थापना काउन्सलिंग के माध्यम से की गयी और अध्यापकों द्वारा स्वयं पदोन्नत विद्यालय का चयन किया गया इसलिए किसी भी पदोन्नत अध्यापक को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय वृद्धि नहीं दी गयी। श्री नेगी द्वारा भी पदोन्नति में स्वेच्छा से पदोन्नत विद्यालय का चयन किया गया।

3. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय विधायक द्वारा श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी, स0अ0 की पदोन्नति संशोधन के संबंध में दूरभाष से कहा गया था और प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु माननीय सदस्य विधान सभा को आश्वासन दिया गया था।

4. लेकिन सम्बन्धित अध्यापक द्वारा पदोन्नति संशोधन हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रधान ग्राम पंचायत बेड़ीतल्ली कार्यालय में उनसे मिले उनके द्वारा रा0प्रा0वि0 बेड़ीतल्ली में अध्यापक की तैनाती हेतु कहा गया लेकिन उनके द्वारा श्री हर्षवर्धन सिंह, स0अ0, रा0प्रा0वि0 मालसी के पदोन्नति संशोधन के संबंध में कोई भी पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी थी।

5. रा0प्रा0वि0 पज्यांणामल्ला, विकास खण्ड गैरसैंण जहां श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी, स0अ0 को पदोन्नति पर पदस्थापित किया गया उस समय छात्र संख्याा 64 थी।

6. उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 गैरसैंण के आदेश संख्या/बेसिक–4/65/4(2) सेवायें (नियुक्ति)/2017–18 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के द्वारा रा0प्रा0 वि0 बेड़ीतल्ली (गैरसैंण) जिस विद्यालय में श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा श्री हर्षवर्धन नेगी, सहायक अध्यापक की पदोन्नति संशोधन हेतु निर्देश दिये गये थे, में रिक्त पद के सापेक्ष नव नियुक्त अध्यापक को तैनाती प्रदान कर दी गयी, जिस कारण से रा0प्रा0वि0 बेड़ीतल्ली में पद रिक्त न होने के कारण श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी, स0अ0 की पदोन्नति संशोधन किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं था।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 की आख्या के क्रम में सत्यता ज्ञात किये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2017 को श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी (शिक्षक जिनकी पदोन्नति संशोधन हेतु माननीय सदस्य द्वारा कहा गया था) से दूरभाष पर उनके मोबाइल नं0 9690387500 पर बात की गई। श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी द्वारा बताया किः–

1. उनके द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2017 को अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप रा0प्रा0वि0 पंज्याणामल्ला में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है।

2. उन्होंने पदोन्नति संशोधन हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, मात्र कार्यभार ग्रहण करने हेतु समयवृद्धि की मांग की गयी थी।

3. उन्होंने अपनी पदोन्नति प्रा0वि0 बेड़ीतल्ली में संशोधित करने के लिए कभी भी ग्रामवासियों अथवा ग्राम प्रधान को नहीं कहा गया।

4. श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी ने बताया कि प्रा0वि0 बेड़ीतल्ली में लगभग 40 छात्र संख्या है तथा यहां पर दो अध्यापक कार्यरत है तथा प्रा0वि0 पंज्याणामल्ला में 64 छात्र संख्या है यहां पर उन सहित 03 शिक्षक कार्यरत है।

यद्यपि माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग, उत्तराखण्ड श्री हर्षवर्धन की पदोन्नति संशोधन प्रा0वि0 बेड़ीतल्ली में कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, तथापि उस समय उक्त विद्यालय एकल अध्यापकीय था तथा उक्त विद्यालय में उप शिक्षा अधिकारी के आदेश संख्या–65 दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा दूसरे अध्यापक की तैनाती की जा चुकी थी।

अतः उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि श्री हर्षवर्धन, सहायक अध्यापक, द्वारा पदोन्नति संशोधन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसमें मा0 सदस्य विधान सभा के आदेशों की अवहेलना होने की पुष्टि नहीं होती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वे उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 03 मई, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी के जनपद रूद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम भ्रमण के संबंध में क्षेत्रीय विधायक को आमन्त्रित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज रावत, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से प्राप्त आख्या के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत एवं विदाई हेतु केदारनाथ हैलीपैड पर उपस्थित रहने वाले महानुभावों की सूची श्री जे0पी0 शाही IG, SPG कीमीनियर, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। तद्नुसार सूची में उल्लिखित महानुभाव ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु केदारनाथ हैलीपैड पर उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा किसी भी महानुभाव को माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत एवं विदाई हेतु नामित नहीं किया गया था।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह भी उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय विधान सभा सदस्यों के सन्दर्भ में सभी अवसरों पर सम्मान प्रदान करने एवं गरिमामय आचरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। किसी भी माननीय सदस्य को अति विशिष्ट महानुभाव के आगमन/प्रस्थान अथवा प्रवास अवधि में उनको प्रदान की जाने वाली विशेष सुरक्षा के दृष्टिगत किसी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े इसका भी संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा शान्ति एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में माननीय सदस्य को प्रथमतः उक्त आगमन पर आमंत्रित नही किया गया है, तथापि उनके पद एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहॅुचे कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वे उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करते हैं।

मा0 उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा थानाध्यक्ष, खानपुर के विरूद्ध दिनांक 20 अगस्त, 2018 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–946/XX–7–2018–12(06)/2017, दिनांक 23 जुलाई, 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के पत्र संख्या–एसटी/एसएसपी–सी–052/2018 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा दिनांक 19.08.2017 को वादी श्री रजनीश कुमार, भाजपा युवा मोर्चा खानपुर मण्डल जिला पंचायत सदस्य, हरिद्वार की लिखित तहरीर के आधार पर माननीय सदस्य विधान सभा कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' आदि 5 नामितों के विरूद्व साजिश रचकर वादी पर हमला कर चोट पहुंचाने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना खानपुर पर मु0अ0सं0–74/2017 धारा 147,149,323,351,120बी भादवि व 3(1) एससी/एसटी अधिनियम पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी यातायात श्री मनोज कत्याल के सुपुर्द की गयी। बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल नक्शा नजरी विवेचना से माननीय सदस्य विधान सभा कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम अभियोग से पृथक किया गया, साथ ही अभियोग में धारा 147,149 भादवि का अपराध न होने पर अभियोग से उक्त धारा पृथक की गयी।

प्रकरण में विवेचना से वादी के कथन 164 दप्रसं के आधार पर व दोनों पक्षों में राजनैतिक सहमति बिना किसी दबाव व प्रलोभन तथा पर्याप्त साक्ष्य न होने पर विवेचना द्वारा अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट संख्या–बी–18/17 दिनांक 16.10.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी है।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा थानाध्यक्ष, खानपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार का हनन उत्पन्न नही हुआ है।

कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, वे उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 06 दिसम्बर एवं 07 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

06 दिसम्बर, 2018

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 के विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।)

07 दिसम्बर, 2018

विधायी कार्य–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक पर विचार एवं पारण। **(20 मिनट)**

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर विचारः– **(1 घण्टा)**

''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्रीमती ममता राकेश, श्री करन माहरा, श्री राजकुमार, श्री प्रीतम सिंह तथा हाजी फुरकान अहमद की कुल सात सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे उनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री करन माहरा, श्री राजकुमार, श्री प्रीतम सिंह तथा हाजी फुरकान अहमद की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल ने मा0 उपाध्यक्ष से अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देने का आग्रह किया। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि कल पीठ से निर्देश हुए थे कि कार्यसूची की मद आगे बढ़ने पर नाम पुकारे जाते समय अनुपस्थित सदस्य को बाद में अवसर देने को नजीर न बनाया जाए। मा0 सदस्य ने पुनः अनुरोध किया। इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे अनुमति दे रहे हैं परन्तु यह परम्परा न बनाई जाये। इस पर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के मा0 सदस्यों ने इसका विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनको इस पर घोर आपत्ति है और यह एक गलत परम्परा को जन्म दे रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन संचालन नियमावाली के नियम 315 में उल्लिखित अग्रेता के अनुसार सदन कार्य चलता है और एक बार जो मद ले ली जाती है और कार्य आगे बढ़ जाता है उसके बाद पुनः वो मद नहीं ली जाती है। परन्तु पीठ द्वारा सदशयता दिखाते हुए अनुमति दी गई है। वे इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम प्रेम राजपुर में मेन रोड से विद्या के खेत की ओर सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री ओमपाल सैनी पुत्र श्री दलपत सैनी, ग्राम–प्रेमराजपुर, पो0–भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिनारसी गाँव से मेन रोड से ऋषिपाल के खेत के बराबर से कब्रिस्तान तक सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राकेश पुत्र श्री ईश्वरदत्त, ग्राम–बिनारसी, पो0–चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित कीं।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम दौडबसी में शमशान घाट की चार दिवारी का निर्माण करने के सम्बन्ध में'' श्री शिशपाल, पुत्र श्री सत्तू, ग्राम–दौडबसी, पो0–सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

12 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

उत्तराखण्ड राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 310 की नियम 58 में परिवर्तित सूचना की ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन माहरा, श्री मनोज रावत, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर विपक्ष के सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 42 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत तैनात राज्य भर में लगभग 3000 संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण एवं समान कार्य समान मानदेय/वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्राहयता पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राज्य में जिला विकास प्राधिकरण के गठन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवन बनाने में जनता को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। सरकार पूरे पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से जांच करा कर इसका नियमानुसार और व्यवहारिकता को देखते हुए हल निकाले ताकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयां न हो और विकास की परिकल्पना भी साकार हो सके।

गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में एस0जे0बी0एन0 लिमिटेड, जखोल सांकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (44 मेगावाट) का निर्माण कार्य रूकने के सम्बन्ध में नियम–58 की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

03 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य के 16 आयुर्वेद विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। आयुष मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध नियम–58 की सूचना की ग्राह्यता पर मा0 सदस्य हाजी फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये।

04 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने विधेयक पर विचार व्यक्त किए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आयुष मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किया।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक, यथासंशोधित, विधेयक के अंग बने।

आयुष मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 200824 हजार (बीस करोड़ आठ लाख चौबीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–1 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत **रू0 290939 हजार (उन्तीस करोड़ नौ लाख उन्तालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 146079 हजार (चौदह करोड़ साठ लाख उन्यासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रू0 27561 हजार (दो करोड़ पचहत्तर लाख इक्कसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 110790 हजार (ग्यारह करोड़ सात लाख नब्बे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 3557170 हजार (तीन सौ पचपन करोड़ इकहत्तर लाख सत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–7 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत **रू0 23680 हजार (दो करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–8 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 263860 हजार (छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 2060620 हजार (दो सौ छः करोड़ छः लाख बीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 1661389 हजार (एक सौ छियासठ करोड़ तेरह लाख नवासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 1841991 हजार (एक सौ चौरासी करोड़ उन्नीस लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 422782 हजार (बयालीस करोड़ सत्ताईस लाख बयासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 1236963 हजार (एक सौ तेईस करोड़ उनहत्तर लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 272580 हजार (सत्ताईस करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 3111653 हजार (तीन सौ ग्यारह करोड़ सोलह लाख तिरपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 50300 हजार (पांच करोड़ तीन लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 2181717 हजार (दो सौ अठारह करोड़ सत्रह लाख सत्रह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 480857 हजार (अड़तालीस करोड़ आठ लाख सत्तावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत **रू0 106000 हजार (दस करोड़ साठ लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 2239395 हजार (दो सौ तेईस करोड़ तिरानवे लाख पंचानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 163511 हजार (सोलह करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 144449 हजार (चौदह करोड़ चवालीस लाख उनचास हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 10455 हजार (एक करोड़ चार लाख पचपन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 62410 हजार (छः करोड़ चौबीस लाख दस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत **रू0 213937 हजार (इक्कीस करोड़ उन्तालीस लाख सैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 400246 हजार (चालीस करोड़ दो लाख छियालीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 131835 हजार (तेरह करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 709891 हजार (सत्तर करोड़ अठ्ठानवे लाख इक्यानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 380167 हजार (अड़तीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गयी।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1 तथा अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 सदस्य विधान सभा ने निम्न संकल्प प्रस्तुत कियाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।''

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल मा0 सदस्य विधान सभा ने निम्न संकल्प प्रस्तुत कियाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय''।

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री गोपाल सिंह रावत मा0 सदस्य विधान सभा ने निम्न संकल्प प्रस्तुत कियाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सुआखोली–भवान–नगुण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय''।

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार मा0 सदस्य विधान सभा ने निम्न संकल्प प्रस्तुत कियाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय''।

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री धन सिंह नेगी मा0 सदस्य विधान सभा ने निम्न संकल्प प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये''।

उपर्युक्त संकल्प पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा अध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु 'राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण' का गठन भी किया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्पः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्रीमती ममता राकेश ने नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर 'डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा भवन' कर दिया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय''।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्तावः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्तावः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्तावः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्तावः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्तावः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा ग्रस्त घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।

श्री देशराज कर्णवाल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचनाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचनाः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचनाः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय'', **पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से विधान सभा क्षेत्र किच्छा के हल्दी स्थित उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को अनुदान अथवा 50 करोड़ का ब्याज रहित ऋण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये तथा

विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक अध्यापक की तैनाती होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

प्रदेश में नौजवानों द्वारा स्वयं के संसाधनों से सोलर प्लांट में उत्पादित ऊर्जा को उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रय न किये जाने के सम्बन्ध में, श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर, ससंदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र कपकोट में दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को आयोजित विवाह समारोह में फूड प्वाईजनिंग से हुई घटना के कारणों की सी0बी0आई0 जांच तथा प्रभावित व मृतक आश्रितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 51 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।